

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव म.प्र. शासन राजस्व
विभाग जिला धार(म.प्र.)

क्रमांक 3478 / भू-अर्जन / 2016

धार दिनांक 4/3/2016

संशोधन-पत्र

(मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमति से भूमि कय नीति अंतर्गत)

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिषत्र दिनांक 12.11.2014 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 14.11.2014 में प्रकाशित अधिसूचना के परिपालन में म.प्र. शासन की आपसी सहमति से भूमि कय नीति के तहत ग्राम खोड़ीमोली तहसील मनावर जिला धार की सार्वजनिक सूचना का समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु अधिसूचना अपर संचालक जन संपर्क विभाग भोपाल को भेजी गई थी, जिसका प्रकाशन पत्रिका समाचार पत्र में दिनांक 1.11.2015 को तथा दूसरे समाचार पत्र अग्निबाण में दिनांक 1.11.2015 को हुआ। चूंकि अधिसूचना का त्रुटीपूर्ण प्रकाशन होने से नीचे दर्शाये अनुसार संशोधन पढ़ा जावे।

पत्रिका एवं अग्निबाण समाचार पत्र :- प्रकाशन दिनांक 1-11-2015

प्रकाशन हुआ	जो त्रुटीपूर्ण है :-		प्रकाशन होना था जो पढ़ा जावे :-		
भूमि धारक का नाम एवं पता	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टर में	भूमि धारक का नाम एवं पता	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टर में
अमरसिंह, लिम्बा, भंवरसिंह पिता गांची, गन्या पिता सोमल्या जाति भील निवासी खोड़ीमोली	11/1	0.216 हे.	संजूबाई पिता गन्या जाति भील निवासी खोड़ीमोली	11/2	0.216 हे.

शेष प्रकाशन यथावत माना जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

20666

1
03/03/16

(श्रीमन शुक्ला)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
म.प्र.शासन राजस्व विभाग, जिला धार (म.प्र.)

3